

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - / 12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, .2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी  
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी  
देहरादून।

विषय :- कपकोट- पिण्डारी - ग्लेशियर मोटर मार्ग से काफली कमेडा  
(प्रस्ताव संख्या 13065/2015)।

संदर्भ :- आपकी आपत्ति दिनांक 13.12.2015।

महोदय,

विषयगत मार्ग से सम्बन्ध में आप द्वारा सूचित आपत्तियों के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर से प्रेषित आख्या अनुसार स्थिति निम्न प्रकार से स्पष्ट की जा रही है-

1- प्रस्तावित परियोजना के हॉड कॉपी में दर्शित विवरण अनुसार परियोजना में 327 विभिन्न प्रजाति के 0 से 10 व्यास श्रेणी के वृक्ष सूचित थे इसी कारण इस कार्यालय द्वारा की गयी संस्तुति भाग- में 0 से 10 श्रेणी व्यास वर्ग के वृक्षों को प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रत्यारोपण करने का प्रतिबन्ध लगाया गया था। प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर के पत्रांक 1705/12-1-2 दिनांक 02.11.2015 (संलग्नक) द्वारा अगवत कराया गया है कि विषयगत मोटर मार्ग अति दुर्गम क्षेत्र होने से जहा पर वृक्ष उखाडने हेतु जे0सी0बी0 मशीन ले जाया जाना सम्भवन नहीं हैं। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार (1)।

भवदीय

(प्रेम कुमार)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkuamun\_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1911/12-1 अल्मोड़ा, दिनांक, 16.11.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषय :- कपकोट - पिण्डारी - ग्लेशियर से काफलीकमेश मोटर मार्ग  
(प्रस्ताव संख्या 13065/2015)।

संदर्भ :- नोडल अधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्ति दिनांक 15.11.2015।


महोदय,

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन-लाइन प्रस्ताव संस्तुति सहित नोडल अधिकारी को भेजे जाने पर उनके द्वारा इस प्रस्ताव में निम्न आपत्तियाँ सूचित की गयी है-

CF has recommended translocation of 0-10 cm trees. Hence DFO may prepare a scheme for translocation of such trees along with estimate thereof and upload as additional information file in Form A Part II itself.

उक्त आपत्तियों को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया आपत्तियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

भवदीय



वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।